-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2016 में थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत जान-माल की नुकसान करने के इरादे से घर में आग लगाने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के सश्रम कारावास कारावास व 07 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2016 में थाना अतर्रा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पिण्डखर में जान-माल की नुकसान करने के इरादे से घर में आग वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 19.03.20216 को थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम पिण्डखर में कोयला भट्ठी का संचालन करने वाले गेंदा सिंह पुत्र बाबू सिंह के मकान व कोयले के ढेर में अभियुक्त द्वारा आग लगाकर जला दी गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर मु0अ0सं0 44/2016 धारा 436/504/506/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सुनील कुमार शुक्ला द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्त रामजियावन सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी पिण्डखर थाना अतर्रा जनपद बांदा को दिनांक 07.06.2016 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कर दिनांक 03.08.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **रामजियावन सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी ग्राम पिण्डखर थाना अतर्रा जनपद बांदा।**